

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, प्रवृत्त 16, 1970/आश्विन 24, 1892

No. 174]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1970/ASVINA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS
(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October 1970

G.S.R. 1794.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely:—

1. This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1970.

2. In the Schedule to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, for item "II. Flat Transportation Charges" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"II. Flat transportation charges

(a) Kerosene Superior

(b) Kerosene Inferior

In Rs. per Kilo Litre.

Rupees Forty-eight decimal
seven two one one.

Rupees Forty-eight decimal
seven two one one."

[No. F. 1(30)/70-PPD]

M. V. RAJWADE, Jt. Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खास तथा चातु मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1970

सा० का० नि० 1794.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतें नियत करना), आदेश 1970 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतें नियत करना) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
2. मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतें नियत करना) आदेश, 1970 की अनुसूची में मद "II प्रधान परिवहन प्रभार" तथा उसके अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न मद तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं ; अर्थात् :—

"II प्रधान परिवहन प्रभार

प्रति किलो लिटर रुपयों में

(क) बढ़िया मिट्टी का तेल

रुपये अड़तालीस दशमलव बहुतर एक एक।

(ख) घटिया मिट्टी का तेल

रुपये अड़तालीस दशमलव बहुतर एक एक '1'

[सं० का० 1(30)/70-पीपीडी]

माधव राजवाड़े, संयुक्त सचिव।